2025:CGHC:45186-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1064/2023

जितेन्द्र ध्रुव पिता श्री अवध राम ध्रुव, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम तेलिनसत्ती, थाना–अर्जुनी, जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़। स्थायी निवासी ग्राम– पलारी, थाना– गुरूर, जिला – बालोद, छत्तीसगढ़।

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा–थाना प्रभारी, थाना–अर्जुनी, जिला–धमतरी, छत्तीसगढ़।

... प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी की ओर से : श्री पारस मणि श्रीवास, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से: श्री संघर्ष पाण्डेय, शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा

माननीय श्री बिभु दत्त गुरु, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

द्वारा: रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति

04.09.2025

1. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पारस मणि श्रीवास को सुना गया। प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री संघर्ष पाण्डेय को भी सुना गया।

2. यह दाण्डिक अपील, अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) धमतरी, जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 28/2018 में दिनांक 24.02.2023 को पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी को निम्नलिखित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है:–

धारा के अधीन दोषसिद्धि	दण्ड (कठोर कारावास)	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर अतिरिक्त कारावास
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 (3 बार)	आजीवन कारावास	रु. 2000/– (3 बार)	6 माह
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376	आजीवन कारावास	रु. 2000/–	6 माह
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307	10 वर्ष	रु. 1,000/–	3 माह
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 450	10 वर्ष	रु. 1,000/–	3 माह
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380	7 वर्ष	रु. 500/–	3 माह
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201	7 वर्ष	रु. 500/–	3 माह
समस्त दण्डादेशों को साथ–साथ चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।			

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 13.07.2017 को शिकायतकर्ता चंद्रहास सिन्हा ने थाना अर्जुनी में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि वह पदमा राइस मिल, तरसीवां में मिल ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था। उसका छोटा भाई महेंद्र सिन्हा अपनी पत्नी उषा सिन्हा और अपने दो बच्चों के साथ बटवारे में उसे आवंटित मकान में अलग रह रहा था, जो शिकायतकर्ता के घर के बगल में स्थित था। दिनांक 12.07.2017 की शाम लगभग 09:00 बजे, दोनों परिवारों ने एक साथ रात्रि भोज किया और उसके बाद अपने–अपने कमरों में सोने चले गए। शिकायतकर्ता रात लगभग 11:00 बजे तक सोया था। अगली सुबह, अर्थात् दिनाँक 13.07.2017 को लगभग 05:30 बजे, जागने पर उसकी पत्नी दीपमाला सिन्हा ने उसे सूचित किया कि उसके भाई महेंद्र के घर के बाहर एक बालिका देखी गई थी। उसने अपने घर के पास गली में एक सफेद बैग में रखी ड्रिल मशीन भी देखी, जिसे उसकी पत्नी ने उठा लिया और अंदर रख दिया था। इसके कुछ समय बाद, शिकायतकर्ता की मां रामाबाई सिन्हा, महेंद्र के घर की ओर गईं और उसे तथा उसके बच्चों को आवाज लगाई। जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला, जो बाहर से कुंडी से बंद था, और घर के अंदर प्रवेश किया। अंदर जाने पर, उन्होंने कमरे के भीतर एक भयावह दृश्य देखा कि उनका पुत्र महेंद्र सिन्हा, उसकी पत्नी उषा सिन्हा और उनका छोटा पुत्र महेश सिन्हा, रक्त से लथपथ पड़े थे और उनके सिर तथा चेहरे पर गंभीर चोटें थीं, जबकि बड़ा पुत्र त्रिलोक सिन्हा गंभीर रूप से घायल था किंतु जीवित था। रामाबाई की चीखें सुनकर पड़ोसी, रमेश सिन्हा, चतुर सिन्हा, कौशल सिन्हा और डॉ. अजय साहू मौके पर पहुंचे। घायल त्रिलोक को रमेश और चतुर द्वारा तत्काल चिकित्सकीय उपचार हेतु धमतरी ले जाया गया। यह देखा गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने लोहे के औजार की सहायता से महेंद्र के घर की कुंडी तोड़ी थी, घर में प्रवेश किया था, और मृतकों पर हथौड़े से बार–बार प्रहार करके उनकी हत्या कर दी थी। शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर, थाना अर्जुनी में अपराध क्रमांक 196/2017 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 450 व 302 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–35) पंजीबद्ध की गई।

4. विवेचना के दौरान, विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल का नजरी नक्शा (प्रदर्श पी–36) तैयार किया, पंच साक्षियों को नोटिस जारी किया, और उनकी उपस्थिति में शवों का पंचनामा (प्रदर्श पी–39, 41 और 43) तैयार किया। इसके पश्चात, शवों को परीक्षण के लिए जिला अस्पताल, धमतरी भेजा गया और संबंधित शवपरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई। आहत त्रिलोक सिन्हा को दिनाँक 13.07.2017 को बठेना अस्पताल में भर्ती कराया गया, और उसकी ओपीडी पर्ची (प्रदर्श पी– 108) एवं रेफरल टिकट (प्रदर्श पी–109) जब्त की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. विवेचना के दौरान, अभियुक्त जितेंद्र कुमार ध्रुव को गिरफ्तार गया। अपने मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी–18) में उसने प्रकट किया कि अपने पिता के साथ विवाद के कारण वह अपनी माँ के साथ ग्राम तेलिनसत्ती, जिला धमतरी स्थानांतरित हो गया था। उसने स्वीकार किया कि वह उषा सिन्हा के प्रति आकर्षित था, जो एक महिला स्व–सहायता समूह से जुड़ी थी, और उसे पाने की इच्छा रखता था। दिनाँक 12.07.2017 दुर्भाग्यपूर्ण घटना की रात को, धमतरी में मित्रों के साथ शराब पीने के बाद, अभियुक्त रात लगभग 11:30 बजे अपने किराए के मकान में लौटा। इसके बाद, आधी रात के आसपास, वह उषा सिन्हा के घर गया। मुख्य दरवाजा बंद पाकर, वह बगल की गली से बालकनी पर चढ़ गया और रोशनदान से अंदर झाँकने पर उसने परिवार के सदस्यों को सोते हुए देखा। इसके बाद उसने शिकायतकर्ता के घर की छत से घर में प्रवेश किया, अपने मोबाइल फोन की रोशनी का उपयोग करते हुए एक हथौड़ा, पेचकस, ड्रिल मशीन और सब्बल एकत्र किया, और महेंद्र के कमरे की कुंडी तोड़ दी। घर में प्रवेश करने के बाद, उसने सबसे पहले महेंद्र सिन्हा के सिर और चेहरे पर हथौड़े से वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब उषा और बच्चे जाग गए, तो उसने उन पर भी हथौड़े से बार–बार वार किए, जिससे वे बेहोश हो गए। चोटें पहुँचाते समय, उसने बिस्तर पर अपने हाथों से रक्त पोंछा। तत्पश्चात, उसने अधमरी उषा सिन्हा के रक्त रंजित चेहरे को कपड़े से ढंक दिया और उसके साथ बलात्संग किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई जीवित न बचे, अभियुक्त ने पीड़ितों पर पुनः हथौड़े से वार किया, पेचकस से अलमारी तोड़ी और सोने–चांदी के आभूषणों के साथ–साथ नकदी लेकर फरार हो गया। उसने अन्य हथियारों को घटनास्थल पर ही छोड़ दिया, किंतु अपनी आत्मरक्षा के लिए पेचकस अपने पास रखा और मौके से भाग निकला।

6. अभियुक्त के प्रकटीकरण कथन के अनुपालन में, चोरी किए गए आभूषणों को साक्षियों की उपस्थिति में जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी–22 से पी–30) के माध्यम से जब्त किया गया। उसकी निशानदेही पर एक नजरी नक्शा (प्रदर्श पी– 23) तैयार किया गया। दिनांक 03.02.2018 को, उसने एक सीमेंट गोदाम के पास झाड़ियों में छिपाई गई लोहे की रॉड पेश की, जिसे प्रदर्श पी–24 के माध्यम से जब्त किया गया, और एक पहचान पंचनामा (प्रदर्श पी–25) तैयार किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. जब्त वस्तुओं को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, और एफएसएल/डीएनए रिपोर्ट (प्रदर्श पी–131 व 134) प्राप्त की गईं। इसके पश्चात, पत्र (प्रदर्श पी– 139) के माध्यम से, अभियुक्त का 'नार्को–एनालिसिस', 'ब्रेन मैपिंग' और 'पॉलीग्राफ' परीक्षण न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गांधीनगर, गुजरात में कराया गया और रिपोर्ट (प्रदर्श पी–142) प्राप्त की गई।

8. विवेचना पूर्ण होने पर, अभियुक्त जितेंद्र कुमार ध्रुव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 450, 302 (तीन बार), 307, 376, 380 और 201 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। तदनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी के समक्ष अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने उपार्पण के उपरांत दिनांक 15.05.2018 को प्रकरण सत्र न्यायालय को अंतरित कर दिया।

9. विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की उपरोक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित किए। अभियुक्त ने अपराध से इनकार किया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में, अपने विरुद्ध प्रतीत समस्त अभियोगात्मक परिस्थितियों से इनकार किया और झूठा फंसाए जाने का दावा किया।

10. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के लिए, अभियोजन ने कुल 54 साक्षियों का परीक्षण किया और 218 दस्तावेज़ (प्रदर्श पी–1 से पी–218) प्रदर्शित किए। अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है और उसे निर्णय के प्रारंभिक कण्डिका में उल्लेखित अनुसार दंडित किया है। अतः, यह अपील प्रस्तुत की गई है।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पारस मणि श्रीवास यह तर्क देते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश का आदेश विधि, तथ्यों और प्रकरण की परिस्थितियों के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का उचित विवेचना करने में विफल रहा है और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376, 307, 450, 380 और 201 के अधीन अपराधों के लिए त्रुटिपूर्ण रुप से दोषसिद्ध किया है, जो कि अभिखण्डित और अपास्त किए जाने योग्य है। वर्तमान प्रकरण में कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है जो अपराध स्थल पर अपीलार्थी की उपस्थिति या संलिप्तता की परिसाक्ष्य दे सके। अपीलार्थी को केवल अभियोजन की कमियों को पूर्ति करने के लिए गिरफ्तार किया गया है, और विद्वान विचारण न्यायालय ने परिस्थितियों की श्रृंखला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किए बिना ही उसे केवल दुर्बल और अपूर्ण पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्ध किया है। अतः, दोषसिद्धि अपास्त किए जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त, कथित घटना के समय अपीलार्थी घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। किसी भी अभियोजन साक्षी ने वास्तव में घटना को नहीं देखा है। फिर भी, शिकायतकर्ता (अ.सा.– 9) और उसके रिश्तेदारों के मनगढ़ंत और स्वार्थपूर्ण कथनों के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया है, जो विधि की दृष्टि में पूर्णतया असंधारणीय है। न तो किसी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन किया है, और न ही अपीलार्थी से कथित रूप से जब्त किए गए हथियारों के उपयोग को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय एफएसएल/डीएनए रिपोर्ट अभिलेख पर लाई गई है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण संपुष्टिकारी साक्ष्य की अनुपस्थिति के बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया और अपीलार्थी की दोषसिद्धि की कार्यवाही की। इसलिए, आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। साथ ही, अपीलार्थी को पांच माह से अधिक के अस्पष्टीकृत विलंब के बाद गिरफ्तार किया गया था, और अभियोजन साक्ष्यों के कथन भी काफी विलंब से दर्ज किए गए थे, जो अभियोजन के प्रकरण की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। विद्वान विचारण न्यायालय इस विलंब और अभियोजन की विश्वसनीयता पर इसके प्रभाव की विवेचना करने में असफल रहा। विचारण के दौरान, अपीलार्थी ने द.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन अपने कथन में, प्रकरण में स्वयं को झूठे फंसाए जाने का स्पष्ट विवरण दिया था। अपीलार्थी द्वारा लिया गया बचाव अभियोजन साक्ष्यों में मौजूद तात्विक विसंगतियों द्वारा समर्थित है। फिर भी, विद्वान विचारण न्यायालय ने इस स्पष्टीकरण की अनदेखी की और अपीलार्थी को त्रुटिपूर्ण रुप से दोषसिद्ध किया। अपीलार्थी के विरुद्ध किसी भी ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्य के अभाव में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है और अभिखण्डित किए जाने योग्य है। अपीलार्थी उसके विरुद्ध विरचित समस्त आरोपों से दोषमुक्त होने का हकदार है।

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित निर्णय मौखिक और दस्तावेजी, दोनों साक्ष्यों के उचित विवेचना पर आधारित है, और इसमें किसी भी प्रकार की अवैधता या विकृति नहीं है। विचारण न्यायालय ने ठोस कारण दर्ज करने के पश्चात अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 376, 307, 450, 380 व 201 के अधीन उचित रुप से दोषसिद्ध किया है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, फिर भी अभियोजन ने पारिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक पूर्ण श्रृंखला के माध्यम से प्रकरण साबित किया है, जो निस्संदेह अपीलार्थी के दोष की ओर इंगित करती है और निर्दोष होने की हर संभावना को खारिज करती है।चोरी की गई वस्तुओं, अभियोगात्मक हथियारों की बरामदगी और एफएसएल/डीएनए रिपोर्ट (प्रदर्श पी–131, पी–134) सहित वैज्ञानिक साक्ष्य पूर्णतया अभियोजन के कथन की संपुष्टि करते हैं। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी–18) के आधार पर चोरी के आभूषणों और हथियारों की खोज हुई, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन स्वीकार्य है। ये बरामदगी अभियोजन की कहानी को सशक्त पुष्टि प्रदान करती हैं और अपीलार्थी को सीधे अपराध कारित करने से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जोड़ती हैं। चिकित्सकीय और न्यायालयिक साक्ष्य, जिसमें मृतकों की शवपरीक्षण रिपोर्ट और एफएसएल/डीएनए के निष्कर्ष शामिल हैं, स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि मृतकों पर भारी बोथरे वस्तुओं से हमला किया गया था। जैविक और वैज्ञानिक साक्ष्य अपीलार्थी की निशानदेही पर की गई बरामदगी से मेल खाते हैं, जिससे उसकी संलिप्तता की पुष्टि होती है। साथ ही, शिकायतकर्ता (अ.सा.–9) और अन्य स्वतंत्र साक्षियों सहित अभियोजन साक्षियों का परिसाक्ष्य सुसंगत, विश्वसनीय है और प्रतिपरीक्षण में अडिग रही है। उनका साक्ष्य, बरामदगी और फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ मिलकर, अपीलार्थी के दोष को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करता है। इसके अतिरिक्त, द.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन अपने कथन में अपीलार्थी द्वारा लिया गया झूठे फंसाए जाने का बचाव केवल एक बाद का विचार है, जो किसी भी साक्ष्य से समर्थित नहीं है। इसके विपरीत, उसका आचरण, उसकी निशानदेही पर हुई बरामदगी और प्रकटीकरण कथन में उसकी स्वीकारोक्ति उसकी आपराधिक संलिप्तता को स्थापित करती है। अपीलार्थी की गिरफ्तारी में विलंब या कुछ कथनों को दर्ज करने में हुआ विलंब अभियोजन के प्रकरण को दूषित नहीं करता है, विशेष रूप से तब जब वैज्ञानिक साक्ष्य और बरामदगी मजबूत संपुष्टि प्रदान करते हैं। साधारण प्रक्रियात्मक विलंब अपीलार्थी के विरुद्ध मौजूद ठोस और निर्णायक साक्ष्यों पर हावी नहीं हो सकती। अपीलार्थी द्वारा किए गए अपराध जघन्य प्रकृति के हैं, जिनमें एक ही परिवार के तीन सदस्यों की क्रूर हत्या, एक जीवित बच्चे पर संघातिक हमला और मृतक महिला के साथ बलात्संग के साथ–साथ लूटपाट शामिल है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपराध की गंभीरता पर उचित रुप से विचार किया है और उचित धाराओं के अधीन दोषसिद्धि अधिरोपित की है। दोषसिद्धि का निर्णय तर्कसंगत, विधिक रूप से संधार्य है और पारिस्थितिक साक्ष्य एवं डीएनए/एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर दोषसिद्धि के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों पर आधारित है। अतः, अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन है और खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना और उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और विद्वान विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया।

14. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों का विवेचना करने के लिए, हमें अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करना होगा।

15. प्रथम अवधारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष निकालना न्यायोचित था कि मृतकों की मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी?

16. इस संबंध में, सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य त्रिलोक सिन्हा (अ.सा.–50) की है, जो मृतक महेंद्र और उषा का बड़ा पुत्र है, जो गंभीर चोटों के बावजूद इस घटना में जीवित बच गया। अपने कथन में, त्रिलोक ने बताया कि 12.07.2017 की रात अपने चाचा चंद्रहास (अ.सा.–09) के साथ रात का भोजन करने के उपरांत, वह अपने माता–पिता और छोटे भाई महेश के साथ घर लौट आया और सो गया। आधी रात के आसपास, वह अचानक चीख–पुकार सुनकर जाग गया और आँखें खोलने पर उसने कमरे के अंदर एक व्यक्ति को अपने पिता महेंद्र के सिर पर हथौड़े जैसी वस्तु से बार–बार वार करते देखा। जब उसकी माँ उषा ने बीच–बचाव करने का प्रयत्न किया, तो उन पर भी बेरहमी से हमला किया गया, और जब त्रिलोक ने हमलावर को रोकने का प्रयत्न किया, तो उसके सिर, आँखों और कानों पर वार किया गया, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और अंततः वह अचेत हो गया। उसका परिसाक्ष्य न केवल इस संघातिक हमले का प्रत्यक्ष विवरण प्रदान करती है, बल्कि डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा.–39) के चिकित्सकीय साक्ष्य से भी संपुष्ट होती है, जिन्होंने उसके सिर पर कई फटे हुए और कटे हुए घाव तथा उसकी बाईं आँख को स्थायी क्षति देखी थी। साथ ही, तत्कालीन दस्तावेज़ जैसे ओपीडी पर्ची (प्रदर्श

पी–108) और रेफरल टिकट (प्रदर्श पी–109) भी इसकी संपुष्टि करते हैं। एक स्वाभाविक साक्षी और आहत साक्षी होने के नाते, उसका परिसाक्ष्य सत्यता की उपधारणा रखता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जरनैल सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य (2009) 9 एससीसी 719** और **उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध नरेश (2011) 4 एससीसी 324** में मान्यता दी है, और इसलिए, उसका विवरण पूर्ण विश्वास प्रेरित करता है।

17. उनके परिसाक्ष्य को चिकित्सकीय साक्ष्य से अधिक्षेपातीत संपुष्टि मिलती है क्योंकि डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा.–39), जिन्होंने बठेना अस्पताल में उसका परीक्षण किया था, ने उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:–

(i) दाहिने पार्श्व कपाल भाग पर 4×1×0.5 सेंटीमीटर का एक फटा हुआ घाव,

(ii) बाएं ललाट भाग पर 5×4 सेंटीमीटर की सूजन,

(iii) बाईं भौंह के पास 3×2 सेंटीमीटर की रगड़/नीलांगू और आँख का काला पड़ना,

(iv) बाएं कान के बाह्य हिस्से पर 2×0.5 सेंटीमीटर का फटा हुआ घाव जिससे रक्तस्राव हो रहा था, और

(v) बाईं नेत्र–कोटर पर गंभीर चोट जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की स्थायी क्षति हुई।

ये चोटें, जो तत्कालीन ओपीडी पर्ची (प्रदर्श पी– 108) और रेफरल टिकट (प्रदर्श पी–109) में दर्ज हैं, साक्षी के उस कथन के अनुरूप हैं कि उस पर किसी बोथरे, भारी वस्तु से हमला किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. मृतक के बड़े भाई, चंद्रहास सिन्हा (अ.सा.–09), अभियोजन के पक्ष को और अधिक सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने कथन किया कि दिनांक 13.07.2017 की सुबह, उनकी पत्नी ने बाहर एक ड्रिल मशीन पड़ी हुई देखी। आगे खोजबीन करने पर, उन्होंने सीढ़ियों के पास बढ़ईगिरी के उपकरण और एक हथौड़ा पड़ा हुआ देखा। अपनी माँ की ज़ोर–ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वे कमरे की ओर भागे, जहाँ उन्होंने अपने भाई महेंद्र, भाभी उषा और भतीजे महेश को रक्त से लथपथ मृत पाया, और त्रिलोक को गंभीर रूप से घायल अवस्था में देखा। उन्होंने तत्काल मर्ग सूचना (प्रदर्श पी–32 से पी–34) दर्ज कराई, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–35) पंजीबद्ध की गई। उनका साक्ष्य सहज, सुसंगत और स्वाभाविक है, और उनका कथन हथौड़े एवं रक्त रंजित वस्तुओं जैसे भौतिक साक्ष्यों से संपुष्ट होता है।

19. मृतक महेंद्र की माँ, रामाबाई सिन्हा (अ.सा.–51) ने सबसे पहले शवों को देखे जाने का विवरण दिया। उन्होंने साक्ष्य दिया कि वह सुबह लगभग 05:15 बजे कमरे में दाखिल हुईं और उषा को अस्त–व्यस्त स्थिति में पाया, उसकी साड़ी हटी हुई थी जिससे उसके निजी अंग खुले हुए थे। उषा के सिर को छूने पर उन्हें अहसास हुआ कि उनका हाथ रक्त से सन गया है। उन्होंने महेंद्र और महेश को भी उसके पास मृत पड़ा देखा।

20. मृतक के पिता, रामसिंह सिन्हा (अ.सा.–23) ने कथन किया कि अपने खेत से लौटने पर, शवों को खोजने के बाद उनकी पत्नी रामाबाई चिल्लाईं। कमरे में प्रवेश करने पर, अपने बेटे, बहू और पोते के रक्त से लथपथ शवों को देखकर वे बेहोश हो गए।

21. चंद्रहास की पत्नी, दीपमाला सिन्हा (अ.सा.–24) ने आगे बताया कि उन्होंने सबसे पहले बाहर पड़ी ड्रिल मशीन देखी थी, और बाद में अपनी सास के साथ कमरे में प्रवेश किया जहाँ उन्होंने इस वीभत्स हत्याकांड को देखा। उन्होंने संपुष्टि की कि त्रिलोक जीवित मिला था किंतु गंभीर रूप से घायल था, जिसकी एक आँख स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी।

22. अन्य ग्रामीणों और रिश्तेदारों, अर्थात् संतोष सिन्हा (अ.सा.–18), दुलेश्वरी सिन्हा (अ.सा.–19), सतरूपा विश्वकर्मा (अ.सा.–20), हेमिन ध्रुव (अ.सा.–21), विनीता सिन्हा (अ.सा.–22), तेजाराम सिन्हा (अ.सा.–25), पेमिन सिन्हा (अ.सा.–26), जीवन दास (अ.सा.–29), शिवरात्रि सिन्हा (अ.सा.–30) की एकसमान परिसाक्ष्य दर्शाता है कि चीख–पुकार सुनते ही वे तत्काल मौके पर पहुंचे और कमरे में कई चोटों के साथ तीन शवों को और चारों ओर रक्त फैला हुआ देखा। ये स्वतंत्र साक्षी परिवार के सदस्यों के परिसाक्ष्यों की संपुष्टि करते हैं और झूठे फंसाए जाने की संभावना को समाप्त करते हैं।

23. अब प्रस्तुत किए गए चिकित्सकीय साक्ष्यों की ओर लौटते हुए, मृतकों का शव परीक्षण डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा.–39) द्वारा किया गया था, जिन्होंने रिपोर्ट प्रदर्श पी–73, पी–74 और पी–75 में उनके शरीरों पर मौजूद प्रत्येक चोट को सूक्ष्मतापूर्वक दर्ज किया है।

24. मृतिका उषा सिन्हा की मृत्यु के संबंध में, चिकित्सा अधिकारी डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा.–39) ने बाह्य परीक्षण में शरीर के महत्वपूर्ण अंगों, विशेष रूप से सिर और चेहरे पर पहुंचाई गई कई गंभीर चोटों का खुलासा किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. ललाट के बाईं ओर एक फटा हुआ घाव, जिसका माप 6 सेमी × 4 सेमी × 0.5 सेमी था, जो हड्डी की गहराई तक और बाएं फ्रंटल लोब से पैरिएटल' क्षेत्र की ओर फैला हुआ था।

2. बाएं जबड़े पर एक गहरा कटा हुआ घाव, माप 2 सेमी × 0.5 सेमी × 0.5 सेमी, हड्डी की गहराई तक।

3. उसी के पास एक अन्य गहरा घाव, माप 2.5 सेमी × 1 सेमी × 1 सेमी, वह भी हड्डी की गहराई तक ।

4. नाक की जड़ (ऊपरी हिस्से) पर एक गहरा घाव, जो बाईं ओर अधिक था, जिसके कारण नाक की हड्डी में फ्रैक्चर और विस्थापित हो गया था।

5. बाएं गाल और जायगोमैटिक हड्डी में सूजन और फ्रैक्चर।

6. बाएं पैरिएटल भाग में एक गहरा कटा हुआ घाव, माप 3 सेमी × 0.5 सेमी × 0.5 सेमी, जो हड्डी के भीतर तक फैला हुआ था।

7. पैरिएटल भाग में W– आकार का एक कटा हुआ घाव , हड्डी की गहराई तक , जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था।

8. पैरिएटो–ऑक्सीपिटल क्षेत्र में एक कटा हुआ घाव, माप 3 सेमी × 1 सेमी, कपाल की हड्डी की गहराई तक।

आंतरिक परीक्षण के दौरान, चिकित्सक ने फ्रंटल, पैरिएटल, जायगोमैटिक और नाक की हड्डियों में फ्रैक्चर, सबड्यूरल हैमरेज, और रक्त रंजित मस्तिष्क द्रव्य पाया। पेट में आधा पचा हुआ भोजन मिला, जो हाल ही में किए गए रात्रिभोज के

अनुरूप था। मृत्यु का कारण क्रैनियो–सेरेब्रल ट्रॉमा बताया गया, जिससे अत्यधिक रक्तस्त्राव हुआ और सिनकोप हुआ।

चिकित्सा अधिकारी डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा.–39) के अनुसार, उषा सिन्हा की मृत्यु का कारण क्रेनियो–सेरेब्रल ट्रॉमा पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव और सिनकोप हुआ। उन्होंने आगे यह अभिमत दिया कि सभी चोटें मृत्यु–पूर्व थीं, जो किसी कठोर और बोथरे वस्तु से पहुंचाई गई थीं, और ये चोटें व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से, प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। इस प्रकार, चिकित्सा विशेषज्ञ ने पुष्टि की कि उषा सिन्हा की मृत्यु आकस्मिक नहीं थी, बल्कि स्पष्ट रूप से मानव वध थी, जैसा कि उनकी रिपोर्ट (प्रदर्श पी–73) में उल्लेखित है।

25. मृतक महेंद्र सिन्हा की मृत्यु के संबंध में, चिकित्सा अधिकारी डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा.–39) ने बाह्य परीक्षण के दौरान निम्नलिखित चोटें दर्ज कीं:

1. चेहरे के बाईं ओर कई गहरे घाव, जिनमें नाक, जायगोमैटिक भाग और आँख के नीचे का हिस्सा शामिल है।
2. बाईं आँख के ऊपर एक नीलांगू, जो काले रंग की थी।
3. मुँह से झाग निकलना, पुतलियाँ फैली हुई और आँख की झिल्ली में रक्त।
4. बाईं ओर के ऊपरी इनसाइज़र(काटने वाले) दांतों का फ्रैक्चर और विस्थापन।
5. निचले होंठ पर एक कटा हुआ घाव, माप 1 सेमी × 0.5 सेमी × 0.25 सेमी।
6. ऊपरी होंठ पर एक और कटा हुआ घाव, माप 1 सेमी × 0.5 सेमी × 0.25 सेमी।
7. ठुड्डी पर एक कटा हुआ घाव, माप 1 सेमी × 0.25 सेमी × 0.25 सेमी।
8. बाईं आँख के पास ललाट की हड्डी पर एक गहरा धँसा हुआ घाव, जो हड्डी की गहराई तक।
9. नाक की हड्डी पर एक कटा हुआ घाव, माप 1 सेमी × 0.5 सेमी × 0.25 सेमी, हड्डी के भीतर तक गहरा।
10. दाहिने कंधे पर एक फटा हुआ घाव, माप 0.5 सेमी × 0.25 सेमी × 0.25 सेमी।
11. दाहिनी छाती के दूसरे इंटरकोस्टल स्पेस(पसलियों के बीच का स्थान) पर एक फटा हुआ घाव।
12. सिर के पैरिएटल भाग में एक अंडाकार फटा हुआ घाव, माप 0.5 सेमी × 0.5 सेमी, हड्डी की गहराई तक ।
13. एक अन्य अंडाकार गहरा घाव, माप 1.5 सेमी × 0.5 सेमी × 0.5 सेमी, हड्डी की गहराई तक, जिसमें स्पष्ट फ्रैक्चर और धँसाव था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14.कान के ऊपर दाहिने पैरिएटल भाग में 'H' आकार का फटा हुआ घाव, माप 2 सेमी × 1 सेमी × 0.5 सेमी, हड्डी की गहराई तक और फ्रैक्चर युक्त।

15.दोनों हाथों पर खरोंच के निशान, प्रत्येक लगभग 0.25 सेमी × 0.25 सेमी।

16.सीने के अगले हिस्से (दूसरे और तीसरे इंटरकोस्टल स्पेस) पर 2 सेमी × 1.5 सेमी की नीलांगू।

आंतरिक परीक्षण में ललाट और पार्श्व कपाल की हड्डियों का फ्रैक्चर,सबड्यूरल हैमरेज, मस्तिष्क और गले में जमा हुआ रक्त, सीने की दीवार में रगड़, पसलियों का फ्रैक्चर, फेफड़ों में रक्त का थक्का और अन्य अंगों में एनिमिया पाई गई। पेट में आधा पचा हुआ भोजन मिला, जो रात के भोजन के समय के निकट मृत्यु की पुष्टि करता है। मृत्यु का कारण सिर की कई चोटों से होने वाला अत्यधिक रक्तस्राव माना गया।

चिकित्सा अधिकारी डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा.–39) के अनुसार, मृतक महेंद्र सिन्हा की मृत्यु का कारण हथौड़े जैसी कठोर और बोथरे वस्तु से पहुंचाई गई गंभीर 'क्रेनियो–सेरेब्रल' चोटों के कारण हुआ अत्यधिक रक्तस्राव और सदमा था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी–74) के माध्यम से मृत्यु की प्रकृति को स्पष्ट रूप से मानव वध प्रमाणित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. मृतक महेश सिन्हा (बालक) की मृत्यु के संबंध में, चिकित्सा अधिकारी डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा.–39) ने बाह्य परीक्षण के दौरान निम्नलिखित चोटें दर्ज कीं:

1. सिर के दाहिने फॉन्टानेल भाग में एक गहरा अंडाकार घाव, माप 2.5 सेमी × 0.5 सेमी × 0.5 सेमी, हड्डी की गहराई तक।
2. दाहिनी आँख के ऊपर एक अनियमित 'M' आकार का कटा हुआ घाव, साथ ही ललाट की हड्डी का फ्रैक्चर।
3. बाईं 'फॉन्टानेल' हड्डी पर 4 सेमी × 4 सेमी की सूजन, साथ ही धँसाव ।
4. दाहिने पैरिएटल भाग में एक और सूजन, माप 6 सेमी × 6 सेमी, जो अस्थिभंग और धँसी हुई थी।
5. दाहिनी आँख का काला पड़ना, साथ ही नेत्र–कोटर की हड्डी का फ्रैक्चर और धँसाव।
6. दोनों आँखों में सब–कंजंक्टाइवल हैमरेज, पुतलियाँ फैली हुई।
7. नाक में रक्त के थक्के, दोनों हाथों की हथेलियाँ रक्त रंजित।

आंतरिक परीक्षण के दौरान, चिकित्सक ने 'पैरिएटल' और 'फ्रंटल' हड्डियों का फ्रैक्चर, बड़े पैमाने पर सबड्यूरल हैमरेज(मस्तिष्क के भीतर रक्तस्राव),रक्त से लथपथ मस्तिष्क,गले में रक्त का थक्का, हृदय के कक्षों का खाली होना और अंगों में रक्ताल्पता दर्ज की। पेट में आधा पचा हुआ भोजन पाया गया।

चिकित्सा अधिकारी डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा.–39) के अनुसार, मृतक महेश सिन्हा (बालक) की मृत्यु का कारण गंभीर 'क्रेनियो–सेरेब्रल' चोटें थीं, जिनके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर रक्तस्राव और सदमा हुआ। सभी चोटें प्रकृति में मृत्यु–

पूर्व थीं, जो हथौड़े जैसी भारी बोथरे वस्तु से पहुंचाई गई थीं, और व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी–75) के माध्यम से मृत्यु को मानव वध प्रमाणित किया।

27. अतः, हम विद्वान विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष से पूर्णतः सहमत हैं कि महेंद्र सिन्हा, उषा सिन्हा और महेश सिन्हा की मृत्यु की प्रकृति मानव वध थी, जो एक कठोर और बोथरे हथियार से जानबूझकर किए गए क्रूर हमले के कारण हुई थी। जब चिकित्सकीय साक्ष्य को साक्षियों के चक्षुदर्शी परिसाक्ष्य और आसपास की परिस्थितियों के साथ पढ़ा जाता है, तो इस पहलू पर कोई संदेह नहीं रह जाता है। इस प्रकार, चिकित्सकीय साक्ष्य निस्संदेह यह साबित करते हैं कि तीनों मृतकों के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर कई गंभीर मृत्यु–पूर्व चोटें आई थीं, जो एक कठोर और कुंद हथियार से पहुंचाई गई थीं। चोटों की बहुलता, तीव्रता और स्थान, विशेष रूप से सिर, चेहरे और सीने पर, स्पष्ट रूप से दुर्घटना या आत्महत्या की संभावना को खारिज करते हैं, और निर्णायक रूप से यह स्थापित करते हैं कि मृतक महेंद्र सिन्हा, उषा सिन्हा और महेश सिन्हा की मृत्यु मानव वध थी।

28. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में सफल रहा है कि वर्तमान अपीलार्थी जितेंद्र कुमार ध्रुव ही इस अपराध का कर्ता है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. यह स्थापित विधि है कि एक आहत चक्षुदर्शी साक्षी का साक्ष्य अत्यंत महत्व रखता है, क्योंकि घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता और उसे आई चोटें उसके कथन की सत्यता के संबंध में आंतरिक आश्वासन प्रदान करती हैं। वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन ने त्रिलोक सिन्हा (अ.सा.–50) के साक्ष्य का अत्यंत अवलंब लिया है, जो उस संघातिक हमले में जीवित बच गया था जिसमें उसके पिता महेंद्र सिन्हा, माता उषा सिन्हा और छोटे भाई महेश सिन्हा की जान चली गई थी।

30. एक महत्वपूर्ण परिस्थिति आहत चक्षुदर्शी साक्षी त्रिलोक सिन्हा (अ.सा.–50), जो हत्याकारी आघात में बच गया, द्वारा अभियुक्त की पहचान है। उसने स्पष्ट रूप से न्यायालयिक कथन किया कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रात को, जब वह अपने माता–पिता और छोटे भाई के साथ सो रहा था, हमले की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। बगल के रसोईघर से आ रही रोशनी में, उसने स्पष्ट रूप से अभियुक्त जितेंद्र कुमार ध्रुव को अपने माता–पिता और भाई पर हथौड़े (वस्तु 'ए' – प्रदर्श पी–24 के माध्यम से जब्त) से वार करते देखा। जब उसने हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया, तो उस पर भी हमला किया गया और उसे गंभीर चोटें आईं। बठेना अस्पताल के उसके भर्ती होने की पर्ची और उपचार के दस्तावेज (प्रदर्श पी– 108 और पी– 109) उसे आई चोटों की पुष्टि करते हैं।

31. एक आहत चक्षुदर्शी साक्षी होने के नाते, घटना स्थल पर त्रिलोक की उपस्थिति नैसर्गिक और निर्विवाद है। यह स्थापित विधि है कि एक आहत साक्षी के साक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य अधिक होता है, क्योंकि यह सत्यता की एक अंतर्निहित गारंटी के साथ आती है। **अब्दुल सईद विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (2010) 10 एससीसी 259** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक आहत साक्षी का साक्ष्य उच्च पायदान पर होता है और सामान्यतः उस का अवलंब लिया जाना चाहिए, जब तक कि उसे खारिज करने के लिए कोई ठोस कारण मौजूद न हों। इसी तरह के विचार **लक्ष्मण सिंह विरुद्ध बिहार राज्य (2021) 9 एससीसी 191** में व्यक्त किए गए थे, जहाँ न्यायालय ने इस तथ्य पर बल दिया था कि आहत साक्षी शायद ही कभी वास्तविक अपराधी को छोड़ते हैं।

32. बचाव पक्ष का यह तर्क कि अभियुक्त की पहचान संदिग्ध थी,सारहीन है। यह सुसंगत है कि अभियुक्त साक्षी के लिए पहले से ही परिचित था, और इस प्रकार, गलत पहचान की संभावना उत्पन्न ही नहीं होती। इसके अतिरिक्त, तहसीलदार द्वारा पहचान परेड आयोजित की गई थी, जिसमें त्रिलोक ने अभियुक्त की सही पहचान की थी। यद्यपि यह सुस्थापित है कि पहचान परेड एक महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं है, फिर भी यह एक मूल्यवान संपुष्टिकारक सहायता है।

33. वर्तमान प्रकरण में, त्रिलोक ने न केवल पहचान परेड के दौरान अभियुक्त की पहचान की (प्रदर्श पी– और पी–59), बल्कि विचारण न्यायालय के समक्ष भी अटूट विश्वास के साथ अपनी पहचान की पुष्टि की। उसके साक्ष्य आसपास की परिस्थितियों, उसे आई चोटों के चिकित्सकीय साक्ष्य (प्रदर्श पी–108 और पी–109), और अभियुक्त के मेमोरेंडम (प्रदर्श पी–18) के अनुपालन में उसकी निशानदेही पर हुई बरामदगी के अनुरूप है। **नरेश कुमार विरुद्ध राज्य (2020 एससीसी आनलाइन एससी)** के सिद्धांत को लागू करते हुए, पहचान परेड के अभाव में भी, आहत साक्षी द्वारा न्यायालय में की गई पहचान पर सुरक्षित रूप से अवलंब लिया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में, पहचान परेड और न्यायालयीन पहचान, दोनों सुरक्षा उपाय मजबूती से स्थापित हैं।

34. इस प्रकार, हम पाते हैं कि आहत चक्षुदर्शी साक्षी त्रिलोक सिन्हा (अ.सा.–50) द्वारा अपीलार्थी की पहचान पूर्णतया विश्वसनीय है और अभियोजन के प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे संपुष्ट करती है। चिकित्सकीय साक्ष्य उसके कथन की तस्दीक करते हैं। त्रिलोक को आई चोटें गंभीर थीं, विशेष रूप से उसके सिर और आँख पर, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उसने एक आँख खो दी। चिकित्सकीय रिपोर्ट में दर्ज चोटों की प्रकृति, स्थान और गंभीरता पूरी तरह से उसके साक्ष्य का समर्थन करती है कि घटना के दौरान उस पर घातक बल से हमला किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. रामबाई सिन्हा (अ.सा.–51), जो मृतक महेंद्र की माता और आहत साक्षी त्रिलोक (अ.सा.–50) की दादी हैं, ने घर के भीतर के दृश्य का एक जीवंत विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने साक्ष्य दिया कि 13.07.2017 की सुबह जब वह लगभग 5:15 बजे उठीं, तो उन्होंने घर के बाहर बढ़ई की ड्रिल मशीन पड़ी हुई और अन्य सामान बिखरा हुआ देखा। इसे असामान्य पाते हुए, वह महेंद्र सिन्हा के कमरे के दरवाजे पर गईं, उन्हें आवाज दी और भीतर प्रवेश करने पर उन्होंने वह भयावह दृश्य देखा। उन्होंने पाया कि उनकी बहू उषा बिस्तर पर अस्त–व्यस्त स्थिति में पड़ी थी, उसकी साड़ी विस्थापित थी जिससे उसका शरीर अनावृत हो गया था और उसके सिर से रक्तस्राव हो रहा था। उसे छूने पर उनके हाथों में रक्त लग गया। तब उन्हें आभास हुआ कि उनके पुत्र महेंद्र और पोते महेश पर भी क्रुर हमला किया गया था।

इस साक्षी ने आगे कथन किया कि त्रिलोक गंभीर रूप से घायल पाया गया था और उसे उपचार के लिए रायपुर ले जाया गया था, जहाँ उसकी एक आँख स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त पाई गई। उन्होंने साक्ष्य दिया कि विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार गया था, और पूछताछ के दौरान उसने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रकटीकरण कथन दिया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसने हथौड़े से महेंद्र की हत्या की थी, फिर उषा और महेश पर हमला किया, और उसके पश्चात त्रिलोक को घायल कर दिया। उसने उषा की आंशिक रूप से हत्या करने के बाद उसके साथ लैंगिक हमला करने और घर से आभूषण चोरी करने की बात भी स्वीकार की। उसके निशानदेही पर, सोने के आभूषण जैसे झुमके और करधन बरामद किए गए। आभूषणों की पहचान तहसीलदार की उपस्थिति में की गई और दीपामाला सिन्हा (अ.सा.–24) द्वारा उनकी सही पहचान की गई।

यद्यपि प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपीलार्थी की संलिप्तता के बारे में पुलिस के माध्यम से पता चला, तथापि शवों की बरामदगी, पीड़ितों की स्थिति और बाद की पुलिस कार्यवाही के संबंध में उनका साक्ष्य पूर्णतया विश्वसनीय बना हुआ है।

36. चंद्रहास सिन्हा (अ.सा.–09), जो मृतक महेंद्र के बड़े भाई हैं, ने साक्ष्य दिया कि घटना की सुबह, उनकी पत्नी दीपमाला ने उन्हें सूचित किया कि बढ़ई की ड्रिल मशीन बाहर पड़ी हुई थी। ऊपर जाने पर, उन्होंने बढ़ई के औजार बिखरे हुए देखे और सीढ़ियों पर एक हथौड़ा पड़ा हुआ पाया। इसके तुरंत बाद, उन्होंने अपनी माता रामबाई की चीखें सुनीं, वे महेंद्र के कमरे की ओर दौड़े और अपने भाई महेंद्र, भाभी उषा और भतीजे महेश को रक्त–रंजित मृत अवस्था में पाया। उन्होंने उनकी मृत्यु की प्रारंभिक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसे प्रदर्श पी–32 से पी–34 (प्र.पी.–32 से प्र.पी.–34) के रूप में पंजीबद्ध किया गया, और उसके पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.–35) दर्ज की गई। उनका साक्ष्य अपराध के पता चलने के क्रम और उस हथौड़े की मौजूदगी का समर्थन करता है, जिसे बाद में हमले में प्रयुक्त किया जाना दर्शित किया गया था।

37. दीपमाला सिन्हा (अ.सा.–24) ने अपने पति चंद्रहास के कथन की संपुष्टि की। उन्होंने साक्ष्य दिया कि घटना के बाद वाली सुबह, उन्होंने बढ़ई की ड्रिल मशीन बाहर पड़ी देखी थी। जब परिवार महेंद्र के कमरे में गया, तो उन्होंने दरवाजा अधखुला पाया और प्रवेश करने पर महेंद्र, उषा और महेश को लहूलुहान स्थिति में मृत पाया। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि उषा का शव विस्थापित साड़ी और पूरे सिर पर खून के साथ पड़ा था। उन्होंने बरामद आभूषणों की पहचान कार्यवाही में भी भाग लिया, जहाँ उन्होंने झुमके और करधन की सही पहचान उषा के आभूषणों के रूप में की। उनकी गवाही शवों की बरामदगी और चोरी के पहलू दोनों की दृढ़ता से संपुष्टि करती है।

38. महेंद्र के पिता रामसिंह सिन्हा (अ.सा.–23) ने भी अभियोजन का समर्थन किया और बताया कि तड़के जब वह खेत से लौटे, तो उनके पुत्र चंद्रहास ने उन्हें बताया कि महेंद्र के घर में चोर घुस गया था। उसके तुरंत बाद, उनकी पत्नी रामबाई अंदर गईं और उन्होंने वीभत्स हत्याओं का पता लगाया। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि महेंद्र, उषा और महेश की हत्या कर दी गई थी और त्रिलोक गंभीर रूप से घायल था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. अन्य साक्षीगण जैसे संतोष सिन्हा (अ.सा.–18), दुलेश्वरी सिन्हा (अ.सा.–19), सतरूपा विश्वकर्मा (अ.सा.–20), हेमिन ध्रुव (अ.सा.–21), विनीता सिन्हा (अ.सा.–22), तेजाराम सिन्हा (अ.सा.–25), पेमिन सिन्हा (अ.सा.–26), जीवन दास (अ.सा.–29) और शिवरात्रि सिन्हा (अ.सा.–30) सभी ने एकमत होकर साक्ष्य दिया कि दिनाँक 13.07.2017 को महेंद्र, उषा और महेश प्राणघातक हमले के कारण मृत पाए गए थे, जबकि त्रिलोक (अ.सा.–50) गंभीर रूप से घायल पाया गया था। यद्यपि ये चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं, फिर भी उनका साक्ष्य अभियोजन के वृत्तांत को निश्चयपूर्णता प्रदान करता है और किसी भी प्रकार की गढ़ंत कहानी की संभावना को खारिज करता है।

40. सामूहिक रूप से, ये संपुष्टि परिसाक्ष्य न केवल आहत चक्षुदर्शी साक्षी त्रिलोक (अ.सा.–50) के साक्ष्य को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि आस–पास की परिस्थितियों को भी स्थापित करते हैं, जैसे कि शवों की बरामदगी, घटनास्थल की स्थिति, हथौड़े और बिखरे हुए औजारों की बरामदगी,अभियुक्त का प्रकटीकरण कथन, आभूषणों की बरामदगी और उनकी उचित पहचान।

41. अब चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी और पहचान के संबंध में, विचारण न्यायालय ने इन बरामदगियों और उसके पश्चात की गई पहचान की कार्यवाहियों पर यह निष्कर्ष निकालने के लिए अत्यधिक अवलंब लिया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण है। चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी और पहचान पर विचार करने से पूर्व, अभियुक्त के मेमोरेंडम कथन की ग्राह्यता और साक्ष्यिक मूल्य का परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है, जिसके आधार पर बरामदगियाँ की गई थीं। विवेचना अधिकारी, निरीक्षक उमेद टंडन (अ.सा.–54) ने साक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी जितेंद्र कुमार ध्रुव की गिरफ्तारी के बाद, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन उसका कथन दिनांक 19.07.2017 को प्रदर्श पी–18 के माध्यम से अभिलिखित किया गया था। इस मेमोरेंडम कथन

में, अभियुक्त ने यह खुलासा किया कि महेंद्र सिन्हा के घर पर अपराध कारित करने के बाद, उसने जबरन अलमारी खोली, सोने और चांदी के आभूषणों के साथ नकद राशि निकाली, और उन्हें आंशिक रूप से अपने किराए के मकान में और आंशिक रूप से तेलिनसत्ती में स्थित एक सीमेंट गोदाम के पास झाड़ियों के नीचे छिपा दिया था। उसने आगे यह भी खुलासा किया कि घर की कुंडी तोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की छड़ को भी उसी स्थान पर छिपाया गया था। विवेचना अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उक्त मेमोरेंडम स्वतंत्र पंच साक्षियों, अर्थात् संतोष सिन्हा (अ.सा.–18) और रमेश सिन्हा (अ.सा.–41) की उपस्थिति में दर्ज किया गया था, जिन्होंने दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इन दोनों साक्षियों ने इस बात की पुष्टि करते हुए अभियोजन के वृत्तांत का समर्थन किया है कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से प्रकटीकरण किया और उन्हें उन गुप्त स्थानों तक ले गया। यहाँ यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन, प्रकटीकरण कथन का केवल वही भाग ग्राह्य होता है जिससे किसी तथ्य का पता चलता है। वर्तमान प्रकरण में, अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुपालन में आभूषणों, नकदी और हथियार की बरामदगी ही वह खोजा गया तथ्य है। अतः, मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी–18) अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि यह अभियुक्त को सीधे तौर पर बाद की बरामदगियों से जोड़ता है।

42. मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी–18) में किए गए प्रकटीकरण के आधार पर कार्रवाई करते हुए, विवेचना अधिकारी अभियुक्त और पंच साक्षियों के साथ आगे बढ़े, और बरामद की गई प्रत्येक वस्तु के लिए अलग–अलग जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी–22 से पी–30) तैयार किए। निम्नलिखित आभूषण जब्त किए गए:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

- सोने के झुमकों की एक जोड़ी (प्रदर्श पी–22),
- एक सोने की करधन (प्रदर्श पी–23),
- चांदी की पायल एक जोड़ी (प्रदर्श पी–24),
- चांदी की दो बिछिया (प्रदर्श पी–25),
- चांदी की चूड़ियाँ एक जोड़ी (प्रदर्श पी–26),
- 3,500/– रुपये की नकद राशि (प्रदर्श पी–27),
- अन्य विविध आभूषण, जिनमें एक सोने की चेन और एक चांदी का लॉकेट शामिल है (प्रदर्श पी–28 से पी–30)।

43. इनमें से प्रत्येक वस्तु को घटनास्थल पर ही सीलबंद किया गया था, पंच साक्षियों की उपस्थिति में जब्ती पत्रक तैयार किए गए थे, और सभी मेमो पर साक्षियों के साथ–साथ अभियुक्त के हस्ताक्षर भी थे।

44. मृतक महेंद्र की माता रामबाई सिन्हा (अ.सा.–51) ने साक्ष्य दिया कि वह विवेचना के दौरान उपस्थित थीं जब अभियुक्त ने प्रकटीकरण कथन दिया था और यह प्रदर्शित किया था कि उसने किस प्रकार हत्याएं की थीं और उसके पश्चात आभूषणों एवं अन्य वस्तुओं को छिपाया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया कि उनकी मृत पुत्रवधू उषा के सोने के आभूषण अभियुक्त से बरामद किए गए थे और उन्होंने उनकी पहचान उन आभूषणों के रूप में की जो आमतौर पर उषा द्वारा पहने जाते थे।

45. शिकायतकर्ता चंद्रहास सिन्हा की पत्नी, दीपमाला सिन्हा (अ.सा.–24) ने तहसीलदार के समक्ष आयोजित आभूषणों की पहचान कार्यवाही के लिए बुलाए जाने का साक्ष्य देते हुए इसकी और पुष्टि की। उन्होंने बरामद आभूषणों जैसे कि सोने के झुमके, करधन और चांदी की पायल की पहचान अपनी मृत भाभी उषा सिन्हा के आभूषणों के रूप में की। तहसीलदार द्वारा तैयार किया गया पहचान पत्रक

विधिवत प्रदर्शित और साबित किया गया। दीपमाला ने स्पष्ट किया कि उषा इन आभूषणों को प्रतिदिन पहनती थी और उनकी पहचान करने में उनसे कोई चूक नहीं हो सकती थी।

46. रमेश सिन्हा (अ.सा.–41) और संतोष सिन्हा (अ.सा.–18), जो कि स्वतंत्र जब्ती साक्षी थे, ने यह पुष्टि करते हुए अभियोजन का समर्थन किया कि अभियुक्त उन्हें उन गुप्त स्थानों पर ले गया था, जहाँ उनकी उपस्थिति में वस्तुओं को खोदकर निकाला गया/प्रस्तुत किया गया था, और जब्ती पत्रक प्रदर्श पी–22 से पी–30 घटनास्थल पर ही तैयार किए गए थे। उनका साक्ष्य अभियुक्त के स्वेच्छापूर्वक प्रकटीकरण और जब्ती की कार्यवाहियों की प्रमाणिकता को स्थापित करता है।

47. विवेचना अधिकारी (अ.सा.–54) ने अपने कथन में पुष्टि की कि सभी जब्त वस्तुओं को उचित रूप से सीलबंद किया गया था और मालखाना में जमा किया गया था। उन्होंने विचारण न्यायालय में आभूषणों को सीलबंद स्थिति में प्रस्तुत करके अभिरक्षा की श्रृंखला को साबित किया। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि बरामदगी के तुरंत बाद आभूषणों को सीलबंद कर दिया गया था और मालखाना रजिस्टर में प्रविष्टियाँ की गई थीं। उन्होंने जब्ती पत्रक पर अपने हस्ताक्षरों की भी पहचान की।

48. अभियोजन ने तहसीलदार द्वारा संचालित पहचान की कार्यवाही का अवलंब लिया, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि जब्त आभूषणों को साक्षियों को दिखाने से पहले सोने और चांदी की समान वस्तुओं के साथ मिला दिया गया था। पहचान मेमो में यह दर्ज किया गया कि वस्तुओं की पहचान उचित रुप से और बिना किसी संकोच के की गई थी। समान दिखने वाले आभूषणों की उपस्थिति ने यह सुनिश्चित किया कि पहचान संदेह या सुझाव से मुक्त थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

49. इस प्रकार, अभियोजन चोरी के आभूषणों की बरामदगी और उनकी पहचान मृतका उषा सिन्हा के आभूषणों के रूप में संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी–18, जब्ती पत्रक प्रदर्श पी–22 से पी–30, घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी–25, रामबाई (अ.सा.–51), दीपमाला (अ.सा.–24), रमेश (अ.सा.–41), संतोष (अ.सा.–18) के पुष्टिकारक कथन और विवेचना अधिकारी उमेद टंडन (अ.सा.–54) का साक्ष्य एक ऐसी अटूट श्रृंखला बनाते हैं जो अभियुक्त को अपराध कारित करने से जोड़ती है।

50. आभूषणों के अतिरिक्त, 13.07.2017 को निरीक्षक उमेद टंडन (अ.सा.–54) ने साक्षी बसंत सिन्हा (अ.सा.–08) और विनोद बंजारे (अ.सा.–01) की उपस्थिति में लोहे की कुंडी की छड़ का एक टुकड़ा (लंबाई 9.5 सेमी, मुड़ा हुआ भाग 2.5 सेमी), "ओम" अंकित एक सोने का लॉकेट, लकड़ी के हत्थे वाला एक लोहे का हथौड़ा (ब्लेड की चौड़ाई 3 सेमी, गोल हत्था 14 सेमी, हत्थे से ब्लेड की लंबाई 12 सेमी, हत्थे की कुल लंबाई 33.5 सेमी) जिसके हत्थे और लोहे के भाग दोनों पर खून के धब्बे थे (प्रदर्श पी–01), लकड़ी के हत्थे वाला एक अन्य लोहे का हथौड़ा जिस पर "J555" उत्कीर्ण था (ब्लेड की चौड़ाई 2.5 सेमी, हत्थे की गोलाई 11 सेमी, ब्लेड की लंबाई 11 सेमी, हत्थे की लंबाई 36 सेमी) जिस पर भी खून के धब्बे थे, और प्लास्टिक के हत्थे वाले कई लोहे के पेचकश (हरा हत्था – DES 177211, लाल हत्था – Semeto), तथा अन्य धात्विक उपकरणों को बरामद किया। प्रत्येक वस्तु को सूचीबद्ध किया गया, जब्त किया गया और बाद में उचित सील के साथ मालखाना में जमा किया गया (प्रदर्श पी–01, पी–02)।

51. उपरोक्त हथियारों को बाद में फोरेंसिक परीक्षण हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। प्रदर्श पी–131 के अनुसार, लोहे के हथौड़ों और पेचकशों पर मिले रक्त का मिलान डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से मृत व्यक्तियों के रक्त से हुआ, जिससे यह पुष्टि हुई कि मृतक उषा सिन्हा, महेंद्र सिन्हा और महेश सिन्हा को पहुँचाई गई चोटें इन्हीं उपकरणों से कारित की गई थीं। फोरेंसिक परिणामों ने

अभियुक्त के कृत्यों को सीधे तौर पर हत्या से जोड़ दिया, जिससे चक्षुदर्शी साक्ष्यों की पुष्टि हुई और साक्ष्य की शृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी स्थापित हुई।

52. निरीक्षक उमेद टंडन (अ.सा.–54) ने घटनास्थल से रक्त–रंजित कपड़े भी जब्त किए। मृतका उषा सिन्हा का एक लाल पेटीकोट और कत्थई रंग का ब्लाउज, मृतक महेंद्र सिन्हा का एक भूरा चॉकलेटी अंतःवस्त्र, मृतक महेश सिन्हा की एक हल्की पीली–काली चेकदार शर्ट और अन्य वस्त्र सीलबंद पैकेटों में बरामद किए गए (प्रदर्श पी–85, पी–86, पी–95)। डीएनए विश्लेषण (प्रदर्श पी–134) ने पुष्टि की कि इन वस्तुओं पर मौजूद रक्त के धब्बे संबंधित मृतकों के थे, और कुछ वस्तुओं पर मौजूद टच डीएनए अभियुक्त के डीएनए से मेल खा गया, जिससे वह मृत्यु के पश्चात पीड़ितों के शवों और कपड़ों को छूने/हटाने से सीधे तौर पर जुड़ गया।

53. साक्षी टिकेंद्र गजेंद्र (अ.सा.–07) और धनंजय सिन्हा (अ.सा.–10) ने इस बात की पुष्टि की कि अभियुक्त जितेंद्र ध्रुव की निशानदेही/प्रस्तुति पर बरामद आभूषण, मोबाइल फोन और अन्य वस्तुएं वास्तव में वही थीं जो अपराध के दौरान मृतक के घर से ली गई थीं। उनके कथनों ने बरामद संपत्ति को सीधे तौर पर अभियुक्त से जोड़ दिया, और प्रत्येक वस्तु का मिलान संबंधित जब्ती मेमो से किया गया, जिससे साक्ष्य की एक स्पष्ट कड़ी निर्मित हुई।

54. अतः, विचारण न्यायालय का यह अभिनिर्धारित करना उचित था कि चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी और उनकी पहचान एक महत्वपूर्ण अभियोगात्मक परिस्थिति है, जो त्रिलोक सिन्हा (अ.सा.–50) के चक्षुदर्शी परिसाक्ष्य की संपुष्टि करती है और अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता को आगे स्थापित करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

55. अब भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि के संबंध में, डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा.–39) द्वारा विस्तृत रूप से प्रस्तुत मृतका उषा सिन्हा की शवपरीक्षण रिपोर्ट जननांग क्षेत्र में चोटें दर्ज की गईं, जिनमें खरोंच और नीलांगू शामिल हैं, जो बलपूर्वक किए गए लैंगिक हमले के अनुरूप हैं। इन चोटों की उपस्थिति, शरीर पर पाई गई अन्य रक्षात्मक चोटों के साथ मिलकर, यह संकेत देती है कि मृतक को उसकी मृत्यु से पूर्व लैंगिक हिंसा का शिकार बनाया गया था।

56. शवपरीक्षण के दौरान एकत्र किए गए योनी स्वैब के फोरेंसिक परीक्षण, जिन्हें प्रदर्श पी–95 में संरक्षित किया गया था और प्रदर्श पी–131 एवं प्रदर्श पी–134 के अधीन विश्लेषित किया गया, ने अभियुक्त जितेंद्र ध्रुव के अनुरूप जैविक सामग्री की उपस्थिति की पुष्टि की। डीएनए मिलान संदेह की कोई आशंका नहीं छोड़ता कि अभियुक्त ने मृतक के साथ शारीरिक लैंगिक संपर्क बनाया था।

57. साक्षीगण, जिनमें हमले में जीवित बचे त्रिलोक सिन्हा (अ.सा.–2), ने साक्ष्य दिया कि अभियुक्त ने अपराध कारित करने के दौरान उषा सिन्हा को अलग कर दिया था। इस साक्ष्य की संपुष्टि रामसिंह सिन्हा (अ.सा.–23) और दीपमाला सिन्हा (अ.सा.–24) द्वारा की गई है, जिन्होंने घटना के दौरान अभियुक्त को उषा सिन्हा पर हावी स्थिति में देखा था, जो अभियुक्त के उसे लैंगिक रूप से आघात पहुँचाने के सुनियोजित आशय को दर्शाता है।

58. मृतका के रक्त–रंजित निजी सामान की बरामदगी, जिसमें लाल पेटीकोट, साड़ी और ब्लाउज (प्रदर्श पी–95) शामिल हैं, लैंगिक हमले के अनुमान को और अधिक पुष्ट करती है। इन वस्त्रों पर रक्त के धब्बों का स्थान और स्वरूप, जैसा कि विवेचना अधिकारी उमेद टंडन (अ.सा.–54) द्वारा नोट किया गया था, मृत्यु पश्चात से अनुमानित हमले के प्रकार के अनुरूप है।

59. अभियुक्त का मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी–18) परोक्ष रूप से उषा सिन्हा के साथ उस तरीके से व्यवहार करने को स्वीकार करता है जो लैंगिक हमले के भौतिक साक्ष्यों के साथ मेल खाता है। यद्यपि अभियुक्त ने अपने कृत्यों को कम करके दिखाने का प्रयत्न किया है, तथापि चक्षुदर्शी परिसाक्ष्य,

शवपरीक्षण के निष्कर्षों और फोरेंसिक साक्ष्यों का संयोजन युक्तियुक्त संदेह से परे लैंगिक हमला स्थापित करता है।

60. अपराध के बाद अभियुक्त का आचरण, जिसमें साक्ष्यों को छिपाने और भागने के प्रयत्न शामिल हैं, उसके द्वारा किए गए लैंगिक हमले की गंभीरता के प्रति उसकी जागरूकता की और अधिक पुष्टि करता है। घटनास्थल से धब्बेदार कपड़ों और संबंधित वस्तुओं की बरामदगी, जिन्हें पुलिस मालखाना (प्रदर्श पी–95) में जमा किया गया था, अभियुक्त और लैंगिक हिंसा के कृत्य के मध्य एक सीधा संबंध स्थापित करता है।

61. स्वतंत्र साक्षियों, जिनमें चंद्रहास सिन्हा (अ.सा.–09) और तेजाराम सिन्हा (अ.सा.–25) शामिल हैं, ने निरंतर इस बात की पुष्टि की है कि अपराध के समय मृतकों तक किसी अन्य व्यक्ति की पहुँच नहीं थी। यह किसी भी पर–व्यक्ति की संलिप्तता की संभावना को अपवर्जित करता है और दृढ़तापूर्वक लैंगिक हमले का उत्तरदायित्व अभियुक्त पर आरोपित करता है।

62. मृत्यु पश्चात की चोटों, अभियुक्त के डीएनए की फोरेंसिक पुष्टि, बरामद रक्त–रंजित वस्त्रों और सुसंगत चक्षुदर्शी साक्ष्यों पर विचार करते हुए, यह निर्णायक रूप से स्थापित होता है कि अभियुक्त ने उषा सिन्हा की हत्या से पूर्व उनके साथ लैंगिक हमला कारित किया था। लैंगिक हिंसा का यह कृत्य, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 376 के अधीन अभियुक्त के आपराधिक दायित्व के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण गंभीरकारी कारक बनता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

63. विवेचना अधिकारी के साथ–साथ साक्षियों के कथन स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि बरामद की गई वस्तुएं, चाहे वे हथियार हों, कपड़े हों, आभूषण हों या जैविक नमूने, सभी आंतरिक रूप से अपराध स्थल, मृतकों और अभियुक्त से जुड़े हुए हैं। साक्षियों के संयुक्त साक्ष्य, जब्ती पत्रक और फोरेंसिक रिपोर्ट (प्रदर्श पी–131, पी–134) यह स्थापित करते हैं कि अभियुक्त ने सोचे–समझे आशय के साथ हत्या, बलात्संग और चोरी के कृत्य कारित किए थे, जो दोषसिद्धि के लिए एक सुदृढ़ आधार निर्मित करते हैं।

64. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन ने निम्नलिखित तथ्यों को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित किया है:

(क) मृतकों की पहचान: सक्षम साक्षियों—चंद्रहास सिन्हा (अ.सा.–09), रमेश सिन्हा (अ.सा.–41) और शवपरीक्षण से पूर्व डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा.–39) द्वारा मृतका उषा सिन्हा, महेंद्र सिन्हा और महेश सिन्हा की पहचान की गई, जिससे पीड़ितों की पहचान की पुष्टि हुई।

(ख) मृत्यु की प्रकृति मानव वध (धारा 302, भा.दं.सं.): शवपरीक्षण रिपोर्ट हत्या करने के आशय से पहुँचाई गई बोथरे और धारदार हथियार के कारण लगी कई चोटें(विदारण, नीलांगू, अस्थि–भंग, महत्वपूर्ण अंगों की क्षति) दर्शाती हैं। डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा.–39) ने मृत्यु की प्रकृति मानव वध की पुष्टि की।

(ग) हत्या के प्रयत्न में जीवित बचा व्यक्ति (धारा 307, भा.दं.सं.): त्रिलोक सिन्हा (अ.सा.–02), जो इस घटना में जीवित बच गए, उन्हें हमले के दौरान गंभीर चोटें आईं। दं.प्र.सं. की धारा 164 के अधीन दिए गए उनके कथन में हमले का विस्तृत विवरण दिया गया और अभियुक्त को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

(घ) लैंगिक हमला (धारा 376, भा.दं.सं.): योनी स्वैब और फोरेंसिक/डीएनए रिपोर्ट (प्रदर्श पी–131 और प्रदर्श पी–134) सहित

उपलब्ध साक्ष्य मृतका उषा सिन्हा के साथ लैंगिक हमले की पुष्टि करते हैं। अभियुक्त की संलिप्तता की संपुष्टि मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी–18) और साक्षियों के परिसाक्ष्य से भी होती है।

(ङ) गृह–अतिचार और आपराधिक आशय (धारा 450, भा.दं.सं.): अभियुक्त ने अवैध रूप से मृतकों के घर में प्रवेश किया, जिसकी पुष्टि आहत साक्षी त्रिलोक सिन्हा (अ.सा.–02), मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी–18) और घर में सेंधमारी के लिए उपयोग किए गए उपकरणों की जब्ती से होती है।

(च) संपत्ति की चोरी (धारा 380, भा.दं.सं.): अभियुक्त ने घर से आभूषण, नकद और मोबाइल फोन चुराए। सोने–चांदी की वस्तुओं, नकद (3050 रुपये) और मोबाइल फोन सहित बरामद संपत्ति को जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी–1,प्रदर्श पी–2, प्रदर्श पी–85, प्रदर्श पी–86, प्रदर्श पी–95) के अनुसार जब्त किया गया। बरामदगी के समय उपस्थित साक्षियों (अ.सा.–07,अ.सा.– 10,अ.सा.– 11,अ.सा.– 12,अ.सा.–13) ने इन बरामदगियों की संपुष्टि की।

(छ) साक्ष्यों को नष्ट करना और छिपाना (धारा 201, भा.दं.सं.): अभियुक्त ने रक्त–रंजित हथियारों, कपड़ों और चोरी की गई संपत्ति को छूकर, छिपाकर और ठिकाने लगाकर अपराध के साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयत्न किया। फोरेंसिक जांच ने पुष्टि की कि रक्त के धब्बे पीड़ितों से मेल खाते थे, जो अभियुक्त को इन कृत्यों से जोड़ते हैं।

(ज) मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी–18) द्वारा संपुष्टि: निरीक्षक उमेद टंडन (अ.सा.–54) द्वारा अ.सा.–07 और अ.सा.–10 की उपस्थिति में दर्ज अभियुक्त के कथन में हत्या, लैंगिक हमले और चोरी की बात स्वीकार की गई, जिसकी स्वतंत्र रूप से फोरेंसिक साक्ष्य, साक्षियों के कथनों और बरामद संपत्ति से संपुष्टि हुई।

(झ) कोई विश्वसनीय वैकल्पिक स्पष्टीकरण नहीं: अभियुक्त दं.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन अपने कथन में अपनी संलिप्तता को गलत साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय वैकल्पिक विवरण या साक्ष्य प्रदान नहीं कर सका। चक्षुदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य, शवपरीक्षण के निष्कर्षों, फोरेंसिक रिपोर्टों, मेमोरेंडम कथन और बरामदगियों की अटूट कड़ी निर्णायक रूप से अभियुक्त के दोष को स्थापित करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

65. अभिलेख पर प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के उपरांत, यह स्पष्ट है कि मृतका उषा सिन्हा, महेंद्र सिन्हा और महेश सिन्हा पर क्रुर और पूर्व–नियोजित हमला किया गया था। डॉ. यू.एल. कौशिक (अ.सा.–39) द्वारा प्रस्तुत शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी–73, 74 और 75), प्रत्येक मृतक के शरीर पर कई चोटों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जिनमें गंभीर प्रहार और नाजुक अंगों पर चोटें शामिल हैं, जो सह आशय मानव वध हिंसा के अनुरूप हैं। ये चोटें प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। इसके अतिरिक्त, उषा सिन्हा के साथ किया गया लैंगिक हमला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित है। शवपरीक्षण के निष्कर्ष, जिनकी पुष्टि फोरेंसिक विश्लेषण (प्रदर्श पी–131 और पी–134) और रक्त–रंजित कपड़ों की बरामदगी (प्रदर्श पी–95) से होती है, निर्णायक रूप से अभियुक्त को उनके साथ की गई लैंगिक हिंसा से जोड़ते हैं। साक्षियों के परिसाक्ष्य, विशेष रूप से त्रिलोक सिन्हा (अ.सा.–02) और अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों के परिसाक्ष्य, हमले की जघन्य प्रकृति की

संपुष्टि करते हैं। इसके अतिरिक्त, निरीक्षक उमेद टंडन (अ.सा.–54) द्वारा सूक्ष्मतापूर्वक दर्ज की गई और प्रधान आरक्षक वीरेंद्र बैस (अ.सा.–53) द्वारा समर्थित चोरी की वस्तुओं की बरामदगी और पहचान, अभियुक्त की संलिप्तता को और अधिक स्थापित करती है। जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी–1, प्रदर्श पी–2, प्रदर्श पी–85, प्रदर्श पी–86, प्रदर्श पी–95, प्रदर्श पी–98 सी, प्रदर्श पी–99, प्रदर्श पी–103, प्रदर्श पी–104) अभियुक्त को सीधे अपराध स्थल से जोड़ते हैं, जो मृतकों की वस्तुओं और उसकी अभिरक्षा से बरामद चोरी की संपत्ति पर उसके कब्जे को दर्शाते हैं। उचित प्रक्रिया के तहत दर्ज अभियुक्त का मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी–18), अपराध में उसकी भूमिका की स्वीकारोक्ति प्रदान करता है। इस कथन की संपुष्टि स्वतंत्र साक्षियों टिकेंद्र गजेंद्र (अ.सा.–07) और धनंजय सिन्हा (अ.सा.–10) के साक्ष्य से हुई है, जो यह पुष्टि करते हैं कि अभियुक्त अभिरक्षा में था और कथन बिना किसी प्रपीड़न या प्रलोभन के स्वेच्छा से दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के हालिया न्यायदृष्टांत (**राजस्थान राज्य विरुद्ध काशी राम, 2022 एससीसी, मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध राम किशन, 2023 एससीसी**) ऐसे कथनों का अवलंब लेने का समर्थन करते हैं जब वे स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा संपुष्ट हों। चक्षुदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्यों और बरामद संपत्ति द्वारा समर्थित घटनाओं का क्रम, अभियुक्त की ओर से स्पष्ट हेतुक एवं सुनियोजित योजना को प्रदर्शित करता है।

66. अतः, हमारा सुविचारित अभिमत यह है कि अभियोजन ने अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है और विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (3 बार), 376, 307, 450, 380 व 201 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने हेतु उचित रूप से दोषसिद्ध किया है। इस प्रकार, हमें विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं मिलती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

67. उपरोक्त कारणों से, यह दाण्डिक अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है एवं एतद्द्वारा **खारिज** की जाती है।

68. न्यायालय के समक्ष यह बताया गया है कि अपीलार्थी दिनांक 31.01.2018 से जेल में निरुद्ध है; वह विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित दण्डादेश को भुगतेगा।

69. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक, जहाँ अपीलार्थी वर्तमान में अपना कारावास भुगत रहा है,को प्रेषित करें ताकि इसे अपीलार्थी को तामील कराया जा सके और उसे सूचित किया जा सके कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर, इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने हेतु स्वतंत्र है।

सही/–
(बिभु दत्त गुरु)
न्यायाधीश

सही/–
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधिपति

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur